रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 261] नई दिल्ली, शनिवार, जून 2, 1984/ज्येष्ठ 12, 1906
No. 261] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 2, 1984/JYAISTHA 12, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 30 मई, 1984

आदेश

का० आ० 412 (अ) :—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में (i) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर, (ii) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर और कोलार गोल्ड फ़ील्डस, (iii) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर, नासिक, और बैरकपुर (iv) इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर और (v) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के प्रबन्धतंत्रों से सम्बद्ध औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और उक्त विवाद में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है और यह विवाद ऐसी प्रकृति का भी है जिससे एक से अधिक राज्यों में स्थित (i) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, बंगलौर (ii) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर और कालार गोल्ड फ़ील्डस, (iii) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर, नासिक और बैरकपुर, (iv) इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर और (v) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की ऐसे विवादों में अभिरुची होने की संभावना है या वे ऐसे विवादों से प्रभावित हुए हैं;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त विवादों पर राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन किया जाना चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार :—

(i) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति श्री आर० डी० तुलपुले होंगे, जिनका मुख्यालय बम्बई में होगा, और

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त औद्योगिक विवादों को न्यायनिर्णयन के लिए उक्त राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित करती है ।

अनुसूची

1. क्या कर्मकारों की यह मांग कि 1978 के समझौते के संगत उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए उनकी मजदूरी में संशोधित किया जाय ताकि यह भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में दी जा रही मजदूरी के बराबर हो जाय, अयौचित है

2. यदि हां, तो इसकी क्या मात्रा होनी चाहिए और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के समझौते, जिसका अस्तित्व अगस्त, 1982 के अंत तक था, को देखते हुए वह अवधि कितनी होगी जिसके लिए यह भुगतान किया जाना है

3. क्या (i) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर, (ii) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर और कोलार गोल्ड फ़ील्डस, (iii) इन्डियन टेलीफ़ोन इन्डस्ट्रीज, बंगलौर, (4) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर और हिन्दुस्तान, एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के कर्मकारों की 26-12-1980 से हड़ताल करने की कार्रवाई न्यायोचित है यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं

4. क्या (i) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बंगलौर, (ii) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर और कोलार गोल्ड फ़ील्डस, (iii) इन्डियन टेलीफ़ोन इन्डस्ट्रीज बंगलौर, (iv) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर, और (v) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के प्रबन्धतंत्रों द्वारा 8/9-5-81 से 4-6-81 तक कोलार गोल्ड फ़ील्डस में और 7-5-81 से 2/3-6-81 तक बंगलौर में स्थित अपने प्रतिष्ठानों में तालाबन्दी घोषित करने की कार्रवाई न्यायोचित है, यदि नहीं, तो क्या कर्मकार तालाबन्दी की अवधि के लिए मजदूरी या किसी अन्य प्रकार का अनुतोष पाने के हकदार हैं।

[सं. एल-51037/2/83-आई. एण्ड. ई. (एस. एस.)]
वी० एस० एलावादी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

(Department of Labour)

New Delhi, the 30th May, 1984.

ORDER

S.O. 412(E):—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to (1) Hindustan Machine Tools Ltd., Bangalore, (ii) Bharat Earth Movers Ltd., Bangalore and Kolar Gold Fields, (iii) Hindustan Aeronautics Ltd., Bangalore, Nasik and Barrackpore; (iv) Indian Telephone Industries Ltd., Bangalore and(v) Bharat Electronics Ltd., Bangalore and their workmen respectively in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed.

And whereas the said disputes involve a question of national importance and is also of such a nature that industrial establishments of (i) Hindustan Machine Tools Ltd., Bangalore, (ii) Bharat Earth Movers Ltd., Bangalore and Kolar Gold Fields, (iii) Hindustan Aeronautics Ltd., Bangalore, Nasik, and Barrackpore; (iv) Indian Telephone Industries Ltd., Bangalore and (v) Bharat Electronics Ltd., Bangalore situated in more than one State are likely to be interested in or affected by such disputes.

And whereas the Central Government is of opinion that the said dispute should be adjudicated by National Tribunal.

Now, thehrefore, the Central Government :—

(i) in exercise of the powers conferred by section 7B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), hereby constitutes a National Industrial Tribunal with Headquarters at Bombay and appoints Justice Shri R.D.Tulpule as its Presiding Officer; and

(ii) in exercise of the powers conferred by sub-section (IA) of section 10 of the said Act, hereby refers the said industrial dispute (s) to the said National Industrial Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

1. Are the workmen justified in demanding revision of wages bringing their wages on par with BHEL in view of the relevant clauses in the 1978 settelement?

2. If so, what should be the quantum and the period for which such quantum is to be paid in view of the BHEL settlement subsisting till the end of August 1982?

3. Are the workmen of Hindustan Machine Tools Ltd., Bangalore, (ii) Bharat Earth Movers Ltd., Bangalore and Kolar Gold Fields, (iii) Indian Telephone Industries, Bangalore, (iv) Bharat Electronics Ltd., Bangalore and (v) Hindustan Aeronautics Ltd. Bangalore justified in going on strike w.e.f. 26-12-80? If so, to what relief are the workmen entitled?

4. Are the managements of (i) Hindustan Machine Tools Ltd., Bangalore; (ii) Bharat Earth Movers Ltd., Bangalore and Kolar Gold Fields; (iii) Indian Telephone Industries, Bangalore, (iv) Bharat Electronics Ltd., Bangalode and (v) Hindustan Aeronautics Ltd., Bangalore justified in declaring lockouts of their establishments with effect from 8|9-5-81 to 4-6-81 at Kolar Gold Fields and 7-5-81 to 2|3-6-81 at Bangalore? If not, are the workmen entitled to wages for the lockout period or to any other relief?

[No. L-51037|2|83-I&E(SS)]
V. S. AILAWADI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984